



परिषद की कानपुर जोन के अन्तर्गत

नवनिर्मित/नवविकसित एवं निस्स्तीकरण से रिक्त आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों का

आवंटन/नीलामी

आवंटन तिथि/समय :

20.11.2015

समय : प्रातः 10.30 बजे

स्थल : कार्यालय, संयुक्त आवास आयुक्त (कानपुर जोन) आफिस काम्पलेक्स (भू-तल) केशवपुरम, कल्याणपुर, कानपुर

नीलामी द्वारा निस्तारित किये जाने वाले शैक्षिक भूखण्डों का विवरण

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	वर्तमान भूमि दर+ लीजरेन्ट+कार्नेर शुल्क (कार्नेर की स्थिति में) प्र.व.मी.	भूखण्ड का मूल्य दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी दर के अनुसार (रूपये में)	बैंक ड्राफ्ट द्वारा बयाना धनराशि (रूपये में)
-----------------	---------------------------	---	---	--

केशवपुरम योजना संख्या -1 कानपुर

शैक्षिक भूखण्ड (03 नग) (लीज पर)

जी/एस.सी.एच.-02	3151.86	19360.00	61020010.00	6102001.00
पीएस सेक्टर-आई	1507.50	19360.00	29185200.00	2918520.00
पीएस सेक्टर-एम	1870.50	19360.00	36212880.00	3621288.00

अम्बेडकरपुरम योजना संख्या -3 (फेज-1), कानपुर

शैक्षिक भूखण्ड (02 नग) (लीज पर)

भूखण्ड सं.-ए	960.00	15730.00	15100800.00	1510080.00
भूखण्ड सं.-सी	2448.00	15730.00	38507040.00	3850704.00

अम्बेडकरपुरम योजना संख्या -3 (फेज-2), कानपुर

शैक्षिक भूखण्ड (06 नग) (लीज पर)

1/पी.एस.	3040.92	15730.00	47833680.00	4783368.00
सेक्टर-7/एन.एस.-6	1097.60	15730.00	17268394.00	1726840.00
सेक्टर-8/पी.एस.-1	894.00	15730.00	14062620.00	1406262.00
सेक्टर-8/एन.एस.-1	1104.50	15730.00	17373785.00	1737379.00
सेक्टर-8/एन.एस.-2	928.76	15730.00	14609395.00	1460940.00
9/पी.एस.-3	1507.75	15730.00	23716910.00	2371691.00

हंसपुरम योजना संख्या -2, कानपुर

शैक्षिक भूखण्ड (05 नग) (लीज पर)

सेक्टर-ए एनएस/पीएस	1390.50	12100.00	16825050.00	1682505.00
सेक्टर-1बी एनएस/पीएस	1365.00	12100.00	16516500.00	1651650.00
सेक्टर-1बी एनएस/पीएस	935.45	12100.00	11318945.00	1131895.00
सेक्टर-5बी एचएस	6960.00	12100.00	84216000.00	8421600.00
सेक्टर-5जी एनएस	1402.50	12100.00	16970250.00	1697025.00

लोहियापुरम योजना, फतेहगढ़

शैक्षिक भूखण्ड (01 नग) (लीज पर)

6बी पीएस	973.76	9680.00	9425997.00	942600.00
----------	--------	---------	------------	-----------

गणेश बिहार योजना, फतेहपुर

शैक्षिक भूखण्ड (01 नग) (लीज पर)

सेक्टर-1, एनएस	708.00	4961.00	3512388.00	351240.00
----------------	--------	---------	------------	-----------

- शैक्षिक भूखण्डों हेतु नीलामी की तिथि को संस्था का पंजीकरण न्यूनतम तीन वर्ष पुराना होना एवं संस्था की विगत तीन वर्ष की बैलेन्सशीट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित होना अनिवार्य है।
- उ.प्र. सरकार के निर्णयानुसार शैक्षिक संस्थाओं को समाज के सभी वर्गों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिये 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही कुल देय फीस में 50 प्रतिशत छूट भी दिया जाना अनिवार्य होगा।
- उ.प्र. सरकार एवं भारत सरकार द्वारा लागू विधिक प्राविधान, अधिनियम एवं निर्देश आवंटनों पर प्रभावी होंगे।
- सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों/प्रचार अनुभाग मुख्यालय से विनियमावली सम्बन्धित पुस्तिका रु. 1000.00 का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। जिसके अनुसार नीलामी में भाग लिया जाना है।
- शैक्षिक भूखण्डों की श्रेणी का निर्धारण यू.पी. बोर्ड/सी.बी.एस.ई. बोर्ड एवं अन्य द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप की जायेगी।

व्यवसायिक श्रेणियों की सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु. लाख में)	एफ.ए. आर. कवरेज प्रतिशत (मीटर में)	ग्राउण्ड अधिकतम ऊँचाई
-----------------	-----------------------	--	------------------------------------	-----------------------

अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3 (फेज-2), कानपुर

व्यवसायिक भूखण्ड (01 नग)

6/COM-1/3	420.00	29120.00	1.50	55%	12.50
-----------	--------	----------	------	-----	-------

हंसपुरम योजना संख्या -2 कानपुर

सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड (04 नग) (लीज पर)

Sector-1A ©	839.12	12100.00	1.50	35%	10.00
Sector-1B ©	1805.00	12100.00	1.50	35%	10.00
Sector-5G ©	834.75	12100.00	1.50	35%	10.00
Sector-5H ©	1627.50	12100.00	1.50	35%	10.00

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (01 नग)

7GH-02	8745.07	16914.00	1.50	40%	-
--------	---------	----------	------	-----	---

लोहियापुरम योजना, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद)

व्यवसायिक भूखण्ड (04 नग)

3/C-52 (SC-Senior Citizen)	200.00	17920.00	1.20	40%	9.60
4/C-34 (Gen)	310.80	17920.00	1.20	40%	9.60
4/C-44 (Gen)	310.80	17920.00	1.20	40%	9.60
4/C-45 (Gen)	310.80	17920.00	1.20	40%	9.60

योजना संख्या-1, छिबरामऊ (कन्नौज)

संस्थागत भूखण्ड (01 नग)

INS-4/101	1237.33	8686.00	1.50	35%	15.00
-----------	---------	---------	------	-----	-------

आवासीय सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

सम्पत्ति श्रेणी व संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु. लाख में)	पात्रता
--------------------------	-----------------------	--	---------

हंसपुरम योजना संख्या-2, कानपुर

मध्यम आय वर्ग भवन (01 नग)

5E-207	108.50	19.15	अपंजीकृत
--------	--------	-------	----------

आवासीय भूखण्ड 171.00 वर्गमीटर के अधिक (01 नग)

3B-173	302.81	11200.00 per sq.m.	अपंजीकृत
--------	--------	--------------------	----------

© का चिन्ह कार्नेर की सम्पत्तियों का सूचक है।

नोट:-

- समस्त सम्पत्तियों की नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सील्ड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु. 100/- जमा कर सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- सम्पत्ति सम्बन्धी विस्तृत जानकारी सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो के साथ निर्धारित प्रारूप पर (आवेदन पत्र नीलामी से दो दिन पूर्व तथा सील्ड बिड नीलामी से एक दिन पूर्व) कार्यालय कार्यदिवस में सायं 05:00 बजे तक जमा करना होगा। नीलामी तिथि को प्रातः 10:30 बजे तक टोकन निर्गत किये जायेंगे। तदोपरान्त प्रातः 11:00 बजे से नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
- आरक्षित भूखण्डों के विरुद्ध फर्म/पंजीकृत सोसाइटी पर कोई आरक्षण अनुमत्य नहीं है तथा पावर ऑफ एटार्नी एवं अधिकृत पत्र के आधार पर बोली लगाना अनुमत्य न होगा।
- प्रदेशन के सम्बन्ध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- सम्पत्ति आवंटन/नीलामी सम्बन्धी नियम व शर्तों एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.com> से प्राप्त की जा सकती है।

आवास आयुक्त

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए **जन-सुविधा केन्द्र** की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं। डायल करें: **1800-180-5333 (टोल-फ्री) 0522-2236803** यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

IS 15700 : 2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सेवोत्तम प्रमाणित

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.com> E-mail : info@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



सेवोत्तम प्रमाणित